तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	
13.3.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट संख्या 2 व 3 की ओर से एक प्रार्थना पत्र जल्द सुनवायी का प्रस्तुत कर पत्रावली को बरामद कर तारीख पेशी पर लिये जाने व प्रकरण को विड्रो करने बाबत पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की नकल वकील रेस्पो. संख्या 2 को उपलब्ध करवायी गयी। वकील रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में समरथ पुत्र चरतलाल का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने बाबत दिनांक 20.8.2018 को का.मु. प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो अभी तक विचाराधीन है। अतः अपीलान्ट समरथ के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर उनकी ओर से भी विड्रो प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अपील पूर्णरूप से विदड्रा की जा सकती है। वकील अपीलान्ट द्वारा मृतक समरथ पुत्र चरतलाल मीना के वारिसान रसाल बाई बेवा समरथ लाल, ज्योति पुत्री समरथ लाल आयु 17 वर्ष, बीना पुत्री समरथ लाल आयु 16 वर्ष, एवं दीपक पुत्र स्व0 समरथ लाल उम्र 15 वर्ष की ओर से जरिये संरक्षक माता रसाल बाई की ओर से वकालातनामा कर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पर बहस सुने जाने बाबत निवेदन किये जाने पर का.मु. प्रार्थना पत्र दिनांक 20.8.2018 पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी जाकर का0मु0 प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रकरण में मृतक अपीलान्ट समरथ लाल पुत्र चरतलाल मीना के विधिक वारिसान रसाल बाई बेवा समरथ लाल, ज्योति, बीना पुत्रिया समरथ लाल एवं दीपक पुत्र समरथ लाल मीना को प्रकरण मे पक्षकार बतौर अपीलान्ट बनाये जाते है। जिसपर वकील रेस्पो0 द्वारा प्रकरण को अब विड्रो करने मे कोई कानूनी अडचन नही होना बताया तथा प्रकरण को विड्रो करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति प्रकट की गयी। किन्तु न्यायहित में समरथ लाल के का.मु. की ओर से भी विड्रो प्रार्थना पत्र लिया जाना उचित समझता हूँ। अतः मृतक समरथ लाल के का.मु. की ओर विड्रो प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 18.3.19 को पेश हो। Sd/-	
18.3.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। मृतक समरथ लाल की पत्नि श्रीमति रसाल बाई द्वारा मृतक के का.मु. की ओर से न्यायालय मे उपस्थित होकर उक्त अपील को आगे नही चलाने एवं अपील को विड्रो करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। चूंकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अब सभी अपीलान्ट विड्रो करना चाहते है। इसलिए वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट विड्रो किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट विड्रो की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Sd/- (डॉ0एस0पी0सिंह) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

रजिस्टर्ड
प्रति निर्णय मय पत्रावली संख्या 158 मूल पत्रावली
तारीख निर्णय 19/10/17 / उप जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.06 13:16:54 IST
Reason: SelfAttested